विकास फोटो स्टेट, झुन्झुनू, फोन : 235045, Fax - 234338

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 108/झुं/08-09

प्रमाणित किया जाता है कि मनोज विद्या मंदिर समिति

बगवास जिला झुंझुनूं का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 राजस्थान अधिनियम 28, 1958 के अन्तर्गत

रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक सत्रह

माह दिसम्बर सन् दो हजार आठ को झुंझुनूं में दिया गया।

रजिस्ट्रार

संस्थाएँ, झुन्झुनू

रजिस्टर्ड

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाएं, झुन्झुनू (राज.)

क्रमांक : फा/संस्था/रजि. 2790 झुन्झुनू, दिनांक 18-12-08

श्री मंत्री

मनोज शिक्षा भारती समिति बगड़

विषय : राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत संस्था रजिस्ट्रीकरण के बारे में।

आपकी संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या 108/झुं/08-09 दिनांक 17/12/08 संलग्न है, जिसकी प्राप्ति की सूचना भिजवाने का कष्ट करें।

यहां आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 4 व 4 (क) की ओर भी आकर्षित किया जाता है। जिसके प्रावधानों के अनुसार आपको प्रतिवर्ष आम सभा के 14 दिवस में निम्नलिखित सूचनाएं भेजना जरूरी है:-

(1) संस्था के मामलों का प्रबन्ध जिसको सौंपा गया है उस परिषद, समिति या अन्य शासी निकाय के शासकों संचालकों, न्यासियों या सदस्यों के नाम पते पेशे की सूचना मय पद के।

(2) एक विवरण पत्र जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उस वर्ष जिस वर्ष की सूची है के दौरान हुए समस्त परिवर्तनों को दिखाया गया हो।

(3) संस्था के नियमों और विनियमों की एक तारीख सही प्रतिलिपि जो शासी निकाय के शासकों, संचालकों, न्यासों या सदस्यों में से कम से कम तीन द्वारा सही प्रमाणित की गई हो।

इसके अलावा संस्था के नियमों और विनियमों में किये गये प्रत्येक परिवर्तन की प्रतिलिपि जो उपरोक्त रीति से सही प्रमाणित की हुई हो ऐसा परिवर्तन करने की तारीख से पन्द्रह दिन के अन्दर इस कार्यालय को पहुंच जाना चाहिये।

आपका ध्यान इस अधिनियम की धारा 4 (ख) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने वाला अपराध के सिद्ध होने पर ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो पांच सौ रूपये तक का हो सकता है तथा लगातार भंग होने की दशा में और ऐसे अर्थ दण्ड से होगा जो प्रत्येक दिन के लिए जिसमें कि ऐसे अपराध के लिए प्रथम अपराध होने के पश्चात भंग जारी रहती है, पचास रूपये से अधिक नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति धारा 4 के अधीन प्रस्तुत की गई सूची में या धारा 4 के अधीन प्रस्तुत की गई सूची में या धारा 4 के अधीन रजिस्ट्रार को भेजे गये विवरण पत्र या नियमों और विनियमों को या उनके किये परिवर्तनों की प्रतिलिपि में जान-बूझकर कोई मिथ्या प्रविष्ठि या लोप करता या करवाता है तो वह अपराध सिद्ध होने पर ऐसे अर्थ दण्डनीय होगा जो दो हजार रूपये तक हो सकता है।

नोट : इस कार्यालय से भविष्य में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार करते समय संस्था का रजिस्ट्रेशन नं. एवं वर्ष अंकित करें।

संलग्न : मूल प्रमाण-पत्र

रजिस्ट्रार संस्थाएं

राजस्थान, झुन्झुनू

राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण हेतु

<u>आवेदन-पत्र</u>

मनोज शिक्षा मन्दिर बनगोठड़ी (नारनौल मोड़ सिंघाना) समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम मनोज शिक्षा मन्दिर बनगोठड़ी समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व होगा। (नारनौल मोड़ सिंघाना)

2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय मु० बनगोठड़ी (नारनौल मोड़ सिंघाना पो० सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज०)
कार्यक्षेत्र जिला झुंझुनूं सम्पूर्ण क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था का उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है:
1. छात्र, छात्राओं का आत्मिक, शारीरिक विकास करना।
2. राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम व शिक्षा निर्देशानुसार शिक्षा व प्रशिक्षण दिया जाना।
3. छात्र, छात्राओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण देना।
4. औद्योगिक तकनीकी व पशु चिकित्सा के क्षेत्र में प्राथमिक व [illegible] ज्ञान देना। [illegible] शिक्षा व प्रशिक्षण देना।
5. [illegible] उपरोक्त अतिरिक्त छात्र, छात्राओं को विशेष [illegible]
6. [illegible] छात्र, छात्राओं को विशेष सुविधाएं दिया जाना।
7. छात्रों [illegible] सामाजिक व्यवस्था व राष्ट्रीय एकता व अखण्डता की भावना [illegible]

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4. संस्था का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	श्री शिवानन्द पुत्र श्री [illegible]	सेना निवृत्त [illegible]	मु० पो० [illegible] त० बुहाना जिला झुंझुनूं	अध्यक्ष
2.	" दाताराम पुत्र " [illegible] राम	सेवा निवृत्त "	" " "	मन्त्री
3.	" सुरेन्द्र कुमार पुत्र " शिवानन्द	[illegible]	" " "	सदस्य / कोषाध्यक्ष
4.	" नरेन्द्र कुमार पुत्र " शिवानन्द	[illegible]	" " "	
5.	" महेन्द्र सिंह पुत्र " [illegible] राम	कृषि	मु० [illegible] पो० सिंघाना तह० [illegible] जिला झुंझुनूं	सदस्य
6.	" [illegible] पुत्र " [illegible] राम	सेवा नि० सैनिक	मु० पो० [illegible] त० बुहाना	उपाध्यक्ष
7.	" [illegible] पुत्र " [illegible]	कृषि	मु० [illegible] पो० सिंघाना त० बुहाना जिला झुंझुनूं	उप मन्त्री

अध्यक्ष | मंत्री/सचिव | कोषाध्यक्ष

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय, व पूर्ण पते निम्न प्रकार है इस [illegible] के अन्तर्गत एक संस्था का गठन कर गठित होने व इसे पंजीकृत करवाने के इच्छुक है:-

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	श्री शिवचन्द S/o श्री लिखमाराम	सेवा नि० [illegible]	मु० पो० सिंघाना मो० कुहाला जि० झुन्झुनूं	[illegible]
2.	" कालूराम S/o " लिखमाराम	सेवा नि० अध्यापक	मु० पो० सिंघाना मो० कुहाला जि० झुन्झुनूं	[illegible]
3.	" सुरेन्द्र कुमार S/o " शिवचन्द	औद्योगिक [illegible]	मु० पो० सिंघाना मो० कुहाला जि० झुन्झुनूं	[illegible]
4.	" नरेन्द्र कुमार S/o " शिवचन्द	[illegible]	मु० पो० [illegible] मो० कुहाला जि० झुन्झुनूं	[illegible]
5.	" [illegible] S/o " [illegible]	कृषि	मु० पो० सिंघाना [illegible] जि० झुन्झुनूं	[illegible]
6.	" [illegible] S/o " हरजीराम	सेवा नि० सैनिक	मु० [illegible] पो० सिंघाना मो० कुहाला जि० झुन्झुनूं	[illegible]
7.	" [illegible] S/o " [illegible]	कृषि	मु० [illegible] पो० सिंघाना मो० कुहाला	[illegible]
8.	" [illegible] S/o " कालूराम	सेवा नि० सैनिक	मु० [illegible] सिंघाना [illegible] जि० झुन्झुनूं	[illegible]
9.	" रमेश कुमार S/o " [illegible]	अध्यापन	मु० पो० [illegible] सिंघाना मो० कुहाला	[illegible]
10.	" कमला [illegible]	" [illegible]	कृषि	मु० पो० सिंघाना [illegible]	कमला
11.	" [illegible] S/o " [illegible]	कृषि	मु० [illegible] पो० सिंघाना [illegible]	[illegible]
12.	" [illegible] S/o " [illegible]	सेवा नि० सैनिक	मु० पो० सिंघाना [illegible]	[illegible]
13.	" [illegible] S/o " [illegible]	कृषि	मु० [illegible] पो० सिंघाना जि० झुन्झुनूं	[illegible]
14.	" [illegible] सिंह S/o " लिखमाराम	अध्यापन	मु० पो० सिंघाना जि० झुन्झुनूं	[illegible]
15.	" [illegible] सिंह S/o " हरजीराम	नौकरी	मु० [illegible] पो० सिंघाना जि० झुन्झुनूं	[illegible]
16.	" राजेन्द्र कुमार S/o " [illegible]	नौकरी	मु० पो० सिंघाना जि० झुन्झुनूं	[illegible]

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते है कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते है व इन्होंने हमारे समक्ष अपने हस्ताक्षर किये है। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं है।

[illegible]

1. हस्ताक्षर [illegible]
(नाम / व्यवसाय / पूर्ण पता) [illegible]

2. हस्ताक्षर [illegible]
(नाम / व्यवसाय / पूर्ण पता) [illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]

अध्यक्ष मंत्री/सचिव कोषाध्यक्ष

मनोज विद्या मंदिर समिति बनवास

नयी कार्यकारणी के सदस्यों के नाम व पद

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पद
1.	श्री शिवचन्द S/o श्री [illegible]	सेवानि. अध्यापक	अध्यक्ष
2.	" वीरेन्द्र S/o नरेन्द्र कुमार	व्यापारी	सचिव
3.	" सुरेन्द्र S/o शिवचन्द	ओ.सं. में कार्यरत	सदस्य
4.	" नरेन्द्र कुमार S/o शिवचन्द	व्यापारी	कोषाध्यक्ष
5.	" महेन्द्र सिंह S/o धनपतराम	कृषि	सदस्य
6.	" सुभाष S/o हरजीराम	सेवा नि. सैनिक	उपाध्यक्ष
7.	" [illegible] S/o मोहनलाल सैनी	कृषि	उपमंत्री
8.	" हीराचन्द S/o कालूराम	सेवा नि. सैनिक	सदस्य
9.	" रमेश S/o [illegible]राम	अध्यापक	सदस्य
10.	" [illegible] S/o शिवचन्द	सरकारी कर्मी	सदस्य
11.	" धनीर S/o मंगूराम	कृषि	सदस्य
12.	" [illegible]राम S/o कुरड़ाराम	सेवा नि. सैनिक	सदस्य
13.	" [illegible] सिंह S/o [illegible]राम	कृषि	सदस्य
14.	" [illegible] सिंह S/o [illegible]	अध्यापक	सदस्य
15.	" [illegible] सिंह S/o हरजीराम	नौकरी प्राइवेट	सदस्य
16.	" राजेन्द्र S/o दानाराम	नौकरी सरकारी	सदस्य
17.	" कमल S/o [illegible]	कृषि	सदस्य

प्रमाणित किया जाता है कि यह [illegible] पत्रावली में [illegible]
नकल [illegible] दिनांक 9/12
नकल [illegible] दिनांक 10/10/12
[illegible]

अध्यक्ष
मनोज विद्या मन्दिर समिति
बनवास पो० सिंघाणा जिला झुन्झुनू (राज०)

मंत्री
मनोज विद्या मन्दिर समिति
बनवास पो० सिंघाणा, जिला झुन्झुनू (राज०)

कोषाध्यक्ष
मनोज विद्या मन्दिर समिति
बनवास पो० सिंघाणा जिला झुन्झुनू (राज०)

विधान नियमावली

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम मनोज विद्या मन्दिर बनगोठड़ी (मारनौल रोड सिंघाना) समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय मु. बनगोठड़ी (मारनौल रोड सिंघाना) रोड सिंघाना तह. बुहाना जिला- झुन्झुनूं (राजस्थान)
कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण झुन्झुनूं जिला .... क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था का उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है:-
1. छात्र, छात्राओं का मानसिक शारीरिक विकास करना।
2. राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के दिशा निर्देशानुसार [illegible] प्रशिक्षण दिया जा[illegible]
3. छात्र छात्राओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक [illegible]
4. औद्योगिक [illegible] के बारे में [illegible]
5. आधुनिक [illegible] छात्र, छात्राओं को [illegible]
6. अभिभावक रहित छात्र, छात्राओं को प्रोत्साहन के तौर पर निःशुल्क शिक्षा [illegible]
7. [illegible] के लिए [illegible] आवश्यक सेवा करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4. सदस्यता : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे।
1. संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करते हों।
2. बालिग हों।
3. पागल, दिवालिया न हो।
4. संस्था के उद्देश्यों में रूचि आस्था रखते हो।
5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हो।

5. सदस्यों का वर्गीकरण : संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे।
1. संरक्षक
2. विशिष्ठ
3. सम्मानजीय
4. साधारण

(जो लागू न हो उसे काट दें।)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा।

शुल्क व चन्दा
1. संरक्षक राशि .... वार्षिक / आजन्म
2. विशिष्ठ राशि .... वार्षिक / आजन्म
3. सम्मानजीय राशि .... वार्षिक
4. साधारण राशि .... वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रू. .... को मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

7. सदस्यता से निष्कासन : संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा।

1. मृत्यु होने पर 2. त्याग पत्र देने पर
3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर।
4. प्रबंधकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा का बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा : संस्था के उपनियम सं.5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्णय करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य : साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे।

1. प्रबंधकारिणी का चुनाव करना। 2. वार्षिक बजट पारित करना।
3. प्रबंधकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
4. संस्था के कुल सदस्यों के 2 / 3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना।
(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकृत करवा जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लागू होगा।)

10. साधारण सभा की बैठकें :

1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष / मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1 / 3 होगा।
3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी। जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे।
5. संस्था के 1 / 3 अथवा 15 सदस्य इनमें जो भी कम हो के लिखित आवेदन करने पर मंत्री अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष / मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उन मांग 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

11. कार्यकारिणी का गठन : संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबंधकारिणी का गठन किया जायेगा। जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे।

1. अध्यक्ष - एक 2. उपाध्यक्ष - एक 3. मंत्री - एक
4. कोषाध्यक्ष - एक 5. सदस्य - तीन

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें कम रखना चाहें तो कम रख लें)

इस प्रकार प्रबंधकारिणी में ......5...... पदाधिकारी ......2...... सदस्य कुल ......7...... सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी की निर्वाचन :

1. संस्था की प्रबंधकारिणी का चुनाव दो वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।
2. चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य : संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार और कर्तव्य होंगे।

1. सदस्य बनाना और निष्कासित करना।
2. वार्षिक बजट तैयार करना।

अध्यक्ष मंत्री/ सचिव कोषाध्यक्ष

3. संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना, सेवा मुक्त करना।
5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना।

14. कार्यकारिणी की बैठके :

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठके अनिवार्य होगी। लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. बैठक का कोरम प्रबंधकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
3. बैठक की सूचना प्राय: 7 दिन से पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिपालन से कम समय में दी जा सकती है।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी। जो पुन: दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक कोरम में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वहीं होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबंधकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी इस सभा की कार्यवाही की पुष्टी आगामी आम सभा में करना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

क अध्यक्ष
1. बैठक की अध्यक्षता करना।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठके आहूत करना।
4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

(ख) उपाध्यक्ष
1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

(ग) मंत्री
1. बैठके आहूत करना।
2. कार्यवाही लिखाना तथा रिकार्ड रखना।
3. आय-व्यय पर नियंत्रण करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
6. पत्र व्यवहार करना।
7. सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो।

(घ) उपमंत्री
1. मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य का संचालन करना।
2. अन्य कार्य जो प्रबंधकारिणी / मंत्री द्वारा सौंपे जावें।

(ड़) कोषाध्यक्ष
1. वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।
2. दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना।
3. चन्दा / शुल्क / अनुदान / आदि प्राप्त कर रसीद देना।
4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

16. संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :-

1. चन्दा 2. शुल्क 3. अनुदान 4. सहायता

5. राजकीय अनुदान

(क) उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।

(ख) अध्यक्ष / मंत्री / कोषाध्यक्ष में से किसी दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन-देन सम्पन्न होगा।

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :

संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकता निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकें।

1. अध्यक्ष...रुपये

2. मंत्री...रुपये

3. कोषाध्यक्ष...रुपये

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराना जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण : संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण मान्यता प्राप्त चार्टेड एकाउन्टेण्ट से कराया जायेगा।

19. संस्था के विधान में संशोधन :

संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2 / 3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन :

यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति का समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जायेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21. संस्था के लेखा जोखे का निरीक्षण :

रजिस्ट्रार संस्थायें झुंझुनूं को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जायेगी।

22. वित्तीय वर्ष : संस्था का वित्तीय वर्ष अप्रेल से मार्च होगा। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) ... समिति / सोसायटी / संस्था की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।

1.
2.
3.
4.
5.
6.

17/12/08

अध्यक्ष मंत्री/सचिव कोषाध्यक्ष

प्रमाणित किया जाता है कि संस्था की नियमावली

17/12/08

31/12/08

रजिस्ट्रार संस्थायें

झुंझुनूं